फर्द अहकाम

अज अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 1,
किशनगढ अजमेर (राज0)
सोनल बनाम अमित वगैरह
दीवानी दावा संख्या – 31/2013
सी.आई.एस संख्या– 1170/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.10.2025	वकील पक्षकारान उपस्थित। गवाह डी.डब्ल्यू 01 अमित कांकाणी की शपथ पत्र पर जिरह लेखबद्व की गई। दौराने जिरह अधिवक्ता वादी ने वसीयत दिन. ांकित 17.03.2005 पर लेमिनेशन होने के कारण प्रदर्श किये जाने के संबंध में आपत्ति की। इस संबंध में सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह वसीयत लेमिनेटेड है। जो कि मूल वसीयत है। जहां तक इस पर मौजूद हस्ताक्षरों व अंगुठा निशानी का प्रश्न है, यदि अधिवक्ता वादी द्वारा कोई प्रार्थना पत्र इस दस्तावेज पर मौजूद हस्ताक्षरो पर अंगुठा निशानी के विधि विज्ञान प्रयोगशाला अथवा अन्य किसी सक्षम अधिकारी से मिलान करने हेतु प्रस्. तुत किया जावेगा। उस स्थिति में वक्त आदेश प्रार्थना पत्र यदि न्यायालय उचित समझेगा तो इस लेमिनेटेड दस्तावेज को किसी तकनीकि व्यक्ति से अनलेमिनेटेड करने के आदेश दे सकेगा। चूंकि यह लेमिनेटेड वसीयत मूल वसीयत है एवं इस पर हस्ताक्षर एवं अंगुठा निशानी स्पष्ट नजर आ रहे है। ऐसी स्थिति में इस वसीयत को प्रदर्श कराये जाने की अनुमति दी जाती है। आदेश सुनाया गया। गवाह डी.डब्ल्यू 01 अमित कांकाणी की जिरह के दौरान प्रतिवादी संख्या 02 रेणू का स्वर्गवास होना जाहिर किया जिसके संबंध में अधिवक्ता वादी ने समुचित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। जिस पर गवाह के बयान डैफर किये जाकर जिरह रिजर्व रखी गई। पत्रावली वास्ते प्रस्तुत करने प्रार्थना पत्र(प्रतिवादी संख्या 02 रेणू के संबंध में) दिनांक **29.10.2025** को पेश हो। **(संदीप आनन्द)**	

	(संदीप आनन्द)	